न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर०ए०एस

मुकदमा नं० 14 / 2024

ओ एस जी बिल्ड टेक प्राईवेट लिमिटेड पता प्लाट न0 128,S–3 वैशाली प्राईम, धावास वैशाली नगर जयपुर पिन न0 302021 रजिस्ट्रेशन न0 08AAECO1736A1ZV जरिये डायरेक्टर

1. श्री कृष्ण कुमार सिंह उम्र 36 साल पुत्र स्व0 श्री जग बहादुर सिंह, जाति राजपूत निवासी 105,1, मौलवी खेडा, पोस्ट कुडौनी, तहसील सण्डिला जिला हरदोई उत्तर प्रदेश
2. पंकज कुमार उम्र 27 साल पुत्र श्री बनवारी लाल जाति जाट निवासी वार्ड न0 11,बावडी, सौथलिया, सीकर राजस्थान।

अपीलान्टस

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत लोहरवाडा तहसील जोबनेर।
2. मदनसिंह पुत्र किशन सिंह जाति राजपूत निवासी खीरवा तह0 जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण राजस्थान।
3. तहसीलदार तह0 जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण राजस्थान।

रैस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 995 दिनांक 12/02/2024 एवं निरस्त आदेश दिनांक 06/03/2024 ग्राम पंचायत लोहरवाडा तहसील जोबनेर

1. श्री रामसिंह वकील अपीलान्ट
2. सरकार पैरोकार

दिनांक :– 16/05/2024

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट के तहत विरूद्ध रैस्पोडेन्टस इस आशय की पेश की कि आराजी खसरा नम्बर 391/34, 393/33 कुल किता 2 कुल रकबा 1.9726 हे0 वाकै ग्राम खीरवा पटवार मण्डल हिंगोनिया तहसील जोबनेर में स्थित है। जिसमें अपीलांट्स ने ख0 391/34 में 0.8724 है0 व ख0 393/33 में 0.1390 है0 हिस्सा रेस्पो0 न0 2 से दिनांक 04/01/2024 व शुद्धिपत्र दिनांक 08/02/2024 से खरीद किया है और विक्रय अनुसार बेचे गये हिस्से पर कब्जा अपीलांट/क्रेतागण का करा दिया। अपीलांट्स ने दस्तावेज बेचान पत्र दिनांक 04/01/2024 व शुद्धिपत्र दिनांक 08/02/2024के आधार पर नामांतरण तस्दीक हेतु पटवारी पटवार हल्का हिंगोनिया द्वारा नामा0 प्रविष्टी संख्या 995 दिनांक 12.02.2024 को भरकर रेस्पोडेंट सं0 1 के पेश किया जिस पर रेस्पोडेंट 1 ने दिनांक 06/03/2024 को अपने अधिकारों के विपरित जाकर मन मर्जी से मौके पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है आपसी विवाद व जन हानि होने का नोट लगाकर नामांतरण निरस्त कर दिया। रैस्पोडेन्ट का आदेश प्राकृतिक न्याय के नैंसर्गिक सिद्वातों के विपरीत है। जो

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर दाखिल खारिज नाम0 संख्या 995 दिनांक 12/02/2024 जो 06/03/2024 को खारिज किया गया, को निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडेन्ट सं0 2 स्वयं उपस्थित। रैस्पोडेन्ट सं0 1 ने स्वयं उपस्थित होकर अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलान्ट द्वारा खरीदशुदा भूमि का मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। वर्तमान में विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। हमने बहस वकील अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरण संख्या 995 आदेश दिनांक 12/02/2024 जो दिनांक 06/03/2024 को खारिज किया गया, को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। अपीलान्टस ने आराजीयात खसरा नंबरान ख0 391/34 में 0.8724 है0 व ख0 393/33 में 0.1390 है0 हिस्सा रेस्पो0 न0 2 से दिनांक 04/01/2024 व शुद्धिपत्र दिनांक 08/02/2024 से वाके ग्राम खीरवा पटवार हल्का हिंगोनिया तह0 जोबनेर की सम्पूर्ण भूमि को तय शुदा प्रतिफल में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पत्र क्रय किया है एवं विक्रेतागण ने विक्रय किये गये भौतिक भाग का कब्जा अपीलान्ट को संभला दिया है, जिसका विवरण विक्रय विलेख मे अंकित है। बेचान तय शुदा प्रतिफल अदा होने पर उपपंजियक ने निष्पादित कर पंजियन किया है एवं राजस्व अधिकारी की जाचं रिपोर्ट ग्राम पंचायत लोहरवाडा द्वारा स्वीकार की गयी है एवं मौके पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है आपसी विवाद व जन हानि होने का नोट लगाकर नामांतरण निरस्त कर दिया। चुकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की बहस के अनुसार वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा खरीदशुदा भूमि का मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है एवं विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। अतः नामान्तरण संख्या 995 आदेश दिनांक 12/02/2024 जो दिनांक 06/03/2024 को खारिज किया गया को खरिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 995 दिनांक 12/02/2024 खरिज दिनांक 06/03/2024 सरपंच ग्राम लोहरवाडा तहसील जोबनेर को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर को निर्देश दिये जाते है कि वो पुनः रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र की जांच कर पुनः नामान्तरण तस्दीक करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार जोबनेर को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 16/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर
सत्यमेव जयते

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)